न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
सीमलवाड़ा जिला डूँगरपूर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– सोनू कुमार गुर्जर, आर.ए.एस.

प्रकरण सख्या:– 39 / 2025 रेवेन्यु दायर दिनांक:–30.05.2025

1. श्री हुजा पिता कालु जाति डामोर निवासी रणभाटीया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री अमृत पिता मगा जाति डामोर
2. श्री कालु पिता मगा जाति डामोर
3. श्री बाबु पिता कालु जाति डामोर
4. श्री बाबु पिता मगा जाति डामोर
5. श्री मुकेश पिता मगा जाति डामोर
6. श्रीमती रली पत्नि स्व. कालु जाति डामोर समस्त निवासी रणभाटीया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान
7. भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 भु राजस्व अधिनियम

उपस्थित:–
अधिवक्ता प्रार्थी:– श्री कर्तव्य शाह।
अधिवक्ता अप्रार्थीगण– श्री कल्पेश भारती।

निर्णय दिनांक : 24.06.2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण गांव रणभाटीया तहसील सीमलवाडा के स्थायी निवासी है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणअपने कब्जे काश्त की भुमि पर कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भुमि ग्राम रणभाटीया में खाता संख्या 86, खसरा नम्बर 284, 285, 286 खेत किता 3 कुल रकबा 3.3670 हैक्टेयर में हिस्सा होकर स्थित है। जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से पर काबीज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थी का वास्तविक नाम हुजा है। उपरोक्त राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम रणभाटीया में खाता संख्या 86, खसरा नम्बर 284, 285, 286 खेत किता 3 कुल रकबा 3.3670 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम उदा गलत रूप से अंकित कर दिया गया है। जबकि प्रार्थी के समस्त राजकीय दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, जन–आधार कार्ड, बैक पास बुक में प्रार्थी का वास्तविक नाम हुजा ही दर्ज है तथा प्रार्थी हुजा के नाम से ही गांव में जाना जाता है। ग्राम पंचायत झलाई सरपंच द्वारा पंचायत के लेटर पेड पर हुजा पिता कालु जाति डामोर निवासी रणभाटीया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान के

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

स्थायी निवासी है। जिनका मौजा रणभाटीया के खाता संख्या 86, खसरा नम्बर 284, 285, 286 खेत किता 3 कुल रकबा 3.3670 हैक्टेयर में हिस्सा होकर स्थित है। जिसमें उनका उदा पिता कालु सेहवन से दर्ज हो गया है। हुजा पिता कालु के आधार कार्ड नम्बर 4302 9396 1377 है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में इनका नाम उदा पिता कालु चल रहा है। इसके स्थान हुजा पिता कालु दर्ज कराना चाहते है। उनका वास्तविक नाम हुजा पिता उदा है जो कि सही एवं सत्य होने की तस्दीक कर प्रमाण पत्र जारी किया गया है। पुरे रणभाटीया गांव में हुजा पिता कालु नाम की/का एक ही व्यक्ति/महिला निवासरत है। तथा उदा पिता कालु नाम की/का कोई व्यक्ति/महिला नहीं है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में उदा गलत चल रहा है जबकि उसे सुधार किया जाकर हुजा दर्ज किया जाना आवश्यक है। राजस्व रिकॉर्ड में सुधार नहीं किये जाने से प्रार्थी को सरकारी योजनाओ के लाभ, कृषि कनेक्शन एवं अन्य कार्यो में अकारण ही परेशानी हो रही है। जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। जरीये इन्द्राज दुरूस्ति राजस्व रिकॉर्ड आराजी नम्बर ग्राम रणभाटीया में खाता संख्या 86, खसरा नम्बर 284, 285, 286 खेत किता 3 कुल रकबा 3.3670 हैक्टेयर हिस्सा जिसमें दर्ज नाम उदा को हटाया जाकर उसकी जगह वास्तविक नाम हुजा दर्ज किया जाने आदेश प्रदान करे।

प्रार्थी द्वारा न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने पर न्यायालय द्वारा प्रार्थना दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरीए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस बाद तामिल रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्यायालय में जरीए अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने आपसी राजीनामा एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम उदा पिता कालु के बजाय हुजा पिता कालु दर्ज करने पर सहमति व्यक्त की घोषणा की गई।

विद्वान अभिभाषक ने बहस कर निवेदन किया प्रार्थी का वास्तविक नाम हुजा पिता कालु है। प्रार्थी के राजकीय दस्तावेजों में भी प्रार्थी का नाम हुजा दर्ज अंकित है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धिकरण किया जाना आवश्यक है। ऐसे में प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, हाल जमाबंदी की प्रमाणित प्रति, अन्य दस्तावेजों, राजीनामा प्रार्थना–पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे साबित होता है कि प्रार्थी का नाम हुजा पिता कालु होना पाया गया है। उस अनुसार प्रार्थी के कब्जे काश्त की विरासती खातेदारी आराजी ग्राम रणभाटीया में खाता संख्या 86, खसरा नम्बर 284, 285, 286 खेत किता 3 कुल रकबा 3.3670 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

हिस्सा में प्रार्थी का नाम उदा के बजाय हुजा रिकॉर्ड में दर्ज कर शुद्ध किया जाना उचित है।

::आदेश::

प्रकरण में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की आराजी ग्राम रणभाटीया में खाता संख्या 86, खसरा नम्बर 284, 285, 286 खेत किता 3 कुल रकबा 3. 3670 हैक्टेयर हिस्सामें प्रार्थी का नाम उदा पिता कालू के बजाय हुजा पिता कालू रिकॉर्ड में दर्ज कर शुद्ध किया जाने तहसीलदार सीमलवाड़ा को आदेश किया जाता है। तहसीलदार सीमलवाड़ा आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करें।

(सोनु कुमार गुर्जर, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

आदेश आज दिनांक 24.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner